भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1872

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**केरल में आयी बाढ़ में मतदाता पहचान पत्रों का खो जाना**

**1872 श्री अब्दुल वहाब :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उन लोगों के लिए कोई विशेष प्रबंधन किया गया है, जिन्होंने हाल में आयी बाढ़ में अपना मतदाता पहचान पत्र खो दिया है ; और

(ख) क्या उन्हें डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे आगामी लोक सभा चुनावों में अपना वोट डाल सकें ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि केरल के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी चौदह जिला निर्वाचन अधिकारियों (डी.ई.ओ.) को 3.10.18 से 31.10.18 तक, जिसके अंतर्गत छुट्टियां भी हैं विशेष प्रचार व्‍यवस्‍था करके ऐसे निर्वाचकों के निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बदलने के लिए निदेशित किया गया था जो हाल ही के बाढ़ पीड़ित थे । अब तक कुल 872 ई.पी.आई.सी.नि:शुल्‍क जारी किए जा चुके हैं और प्रक्रिया अभी भी चालू है । इसके अतिरिक्‍त, ऐसा कोई निर्वाचक जो बच गया हो को भी संबद्ध जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्‍ति पर ई.पी.आई.सी. नि:शुल्‍क जारी किया जाएगा ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*